

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
<p>19/11/16</p>	<p>पुनश्च: निर्णयानुसार अभियुक्त ने अर्थदण्ड की राशि रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 24 दी गई। अभियुक्त को सजा भुगताई गई। प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।</p> <p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt. Bhind (M.P.)</p>
<p>19/11/16</p>	<p>अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजराज गुर्जर ने धारा 44-2 दफ़्तर का आवेदन पेशकर अभियुक्त को न्यायालय में समर्पित किया। अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री बी0एस0 गुर्जर ने की।</p> <p>प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई वारंट का आदेश होने से अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।</p> <p>अभियुक्त ने स्वेच्छा अपराध स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधि0 की धारा 3/4 के आरोप हैं। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है इस कारण उसके पूर्व के मुचलके से राशि राजसात किया जाना उचित होगा। अतः अभियुक्त के पूर्व के मुचलके से <b>पांचसौ रुपये</b> की राशि राजसात की जाती है तथा शेष राशि माफ की जाती है।</p> <p>अभियुक्त ने निवेदन किया कि वह अपराध स्वीकार करना चाहता है। चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/4 जुआ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उनके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।</p> <p>अभियुक्त की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं <b>सातसौ रुपये</b> के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।</p> <p>निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।</p> <p>जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण सह अभियुक्त के उपस्थित होने पर किया जावेगा।</p> <p>सह अभियुक्त फरार हैं। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर टीप अंकित की जावे कि प्रकरण नष्ट न किया जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>पुनश्च:</p> <p>निर्णयानुसार अभियुक्त ने अर्थदण्ड की राशि रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 24 दी गई। अभियुक्त को सजा भुगताई गई। प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।</p> <p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class</p>